THE RESEARCH DIALOGUE
An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
© The Research Dialogue | Volume-05 | Issue-02 | July-2026
Available online at: https://theresearchdialogue.com/
DOI : https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i2.52

भारतीय संविधान के आदर्शों के प्रति जन-जागरूकता का अध्ययन

डॉ0 कुमुद प्रभाकर
एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र विभाग, कन्या महाविद्यालय आर्य समाज भूड़, बरेली, उ0 प्र0
Email- drkumudprabhakar@gmail.com

सारांश (Abstract)

भारतीय संविधान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का आधारभूत दस्तावेज है, जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तथा धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों की स्थापना करता है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य भारतीय संविधान के आदर्शों के प्रति जन-जागरूकता का विभिन्न सामाजिक समूहों - पुरुष एवं महिला, शहरी एवं ग्रामीण, शिक्षक एवं विद्यार्थी तथा शिक्षक एवं सामान्य नागरिकों - के संदर्भ में परीक्षण करना था। अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया तथा कुल 400 उत्तरदाताओं का चयन सामान्य यादृच्छिक न्यादर्शन प्रविधि द्वारा किया गया। आँकड़ों के संकलन हेतु शोधकर्ता द्वारा निर्मित 40 बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया। प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण मध्यमान, मानक विचलन तथा टी - परीक्षण के माध्यम से किया गया। अध्ययन के निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि पुरुष एवं महिला उत्तरदाताओं के मध्य संवैधानिक आदर्शों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है, जबकि शहरी एवं ग्रामीण, शिक्षक एवं विद्यार्थी तथा शिक्षक एवं सामान्य नागरिक समूहों के मध्य जागरूकता में सांख्यिकीय रूप से सार्थक अंतर पाया गया। शहरी, शिक्षक तथा अधिक शिक्षित वर्गों में संवैधानिक जागरूकता का स्तर अपेक्षाकृत अधिक पाया गया। अध्ययन यह संकेत करता है कि संवैधानिक साक्षरता लोकतांत्रिक सहभागिता, नागरिक उत्तरदायित्व तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः संविधान संबंधी शिक्षा एवं जन-जागरूकता कार्यक्रमों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तथा सामान्य नागरिकों तक व्यापक रूप से पहुँचाया जाना आवश्यक है।

कुंजी शब्द : भारतीय संविधान, संवैधानिक जागरूकता, संवैधानिक साक्षरता, लोकतांत्रिक मूल्य, नागरिक उत्तरदायित्व आदि।

शोध की पृष्ठभूमि

भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, जो भारत के लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला के रूप में कार्य करता है। संविधान केवल शासन-व्यवस्था का कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व जैसे मूलभूत आदर्शों का घोषणापत्र भी है। संविधान की प्रस्तावना (Preamble) इन आदर्शों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करती है तथा नागरिकों और राज्य दोनों के लिए एक नैतिक एवं वैचारिक दिशा प्रदान करती है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि नागरिक संविधान के आदर्शों, मूल्यों तथा संवैधानिक दायित्वों के प्रति कितने जागरूक हैं। संविधान-निर्माता ***डॉ. भीमराव अम्बेडकर*** ने संविधान को केवल शासन

संचालन का साधन न मानकर सामाजिक परिवर्तन का माध्यम माना था। उनके अनुसार संविधान तभी प्रभावी हो सकता है जब नागरिक उसके मूल्यों को समझें और अपने व्यवहार में उनका पालन करें। इसी प्रकार संविधान सभा के अध्यक्ष ***डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद*** ने संविधान सभा के समापन अवसर पर कहा था कि संविधान की सफलता अंततः उन लोगों पर निर्भर करेगी जो इसे क्रियान्वित करेंगे। राजनीतिक सिद्धांतकार ***'Granville Austin'*** ने भारतीय संविधान को ***'सामाजिक क्रांति का उपकरण' (Instrument of Social Revolution)*** कहा है। उनके अनुसार संविधान का उद्देश्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना नहीं था, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना भी था। वहीं ***माधव खोसला (Madhav Khosla)*** का मत है कि भारतीय संविधान ने नागरिकता, लोकतंत्र और संवैधानिक शासन की ऐसी अवधारणा विकसित की जिसने विविधताओं से भरे समाज को एक साझा राष्ट्रीय ढाँचे में संगठित किया। संवैधानिक जागरूकता (Constitutional Literacy) की अवधारणा आधुनिक लोकतंत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। संवैधानिक साक्षरता का आशय नागरिकों के संविधान, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों, राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के संबंध में ज्ञान और समझ से है। भारत में संवैधानिक साक्षरता पर किए गए अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि नागरिकों के बीच संविधान के प्रति रुचि तो बढ़ी है, किंतु संविधान के प्रावधानों और आदर्शों की वास्तविक समझ अभी भी सीमित है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित समुदायों में। संविधान शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि शिक्षा संस्थान और जनसंचार माध्यम नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रसार तथा लोकतांत्रिक सहभागिता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्ययन के अनुसार संवैधानिक ज्ञान और लोकतांत्रिक व्यवहार के मध्य सकारात्मक संबंध पाया जाता है। ***बिंदु जोसेफ, जोसेफिन शेरल लोपेज तथा अनु क्लीटस (2023)*** द्वारा माध्यमिक स्तर के शिक्षकों एवं प्रशिक्षु शिक्षकों पर किए गए तुलनात्मक अध्ययन में पाया गया कि संविधान में निहित मूल्यों के प्रति जागरूकता शिक्षा और प्रशिक्षण से प्रभावित होती है तथा संविधान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास में सहायक होता है। ***राठी एवं यमुना देवी (2017)*** ने वाणिज्य विद्यार्थियों में संवैधानिक प्रावधानों की जागरूकता का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष निकाला कि संविधान संबंधी ज्ञान नागरिकों को अधिक उत्तरदायी और जागरूक बनाता है तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। हाल के वर्षों में संविधान दिवस (26 नवम्बर), संवैधानिक साक्षरता अभियानों, विद्यालय एवं विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों तथा डिजिटल माध्यमों के विस्तार ने संविधान के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया है। फिर भी विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक समूहों में संवैधानिक आदर्शों की समझ और स्वीकार्यता के स्तर में अंतर दिखाई देता है। उपरोक्त संदर्भों से स्पष्ट है कि संविधान के आदर्शों के प्रति जन-जागरूकता लोकतंत्र की मजबूती, नागरिक उत्तरदायित्व तथा संवैधानिक मूल्यों की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान अध्ययन इसी संदर्भ में यह जानने का प्रयास करेगा कि नागरिक भारतीय संविधान के आदर्शों—न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों—के प्रति कितने जागरूक हैं तथा उनकी जागरूकता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन-कौन से हैं।

1. **शोध अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of Research)**

प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित शोध उद्देश्य निर्धारित किए गये हैं-

I. संवैधानिक आदर्शों के प्रति पुरुष तथा महिला उत्तरदाताओं की जागरूकता में सार्थक अन्तर ज्ञात करना।
II. संवैधानिक आदर्शों के प्रति ग्रामीण तथा शहरी उत्तरदाताओं की जागरूकता में सार्थक अन्तर ज्ञात करना।
III. संवैधानिक आदर्शों के प्रति शिक्षक तथा विद्यार्थी उत्तरदाताओं की जागरूकता में सार्थक अन्तर ज्ञात करना।
IV. संवैधानिक आदर्शों के प्रति शिक्षक तथा सामान्य नागरिक उत्तरदाताओं की जागरूकता में सार्थक अन्तर ज्ञात करना।

2. **शोध अध्ययन की परिकल्पनाएं (Hypothesis of Research)**

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोध उद्देश्यों के अनुसार निम्नलिखित शून्य शोध परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है-

I. संवैधानिक आदर्शों के प्रति पुरुष तथा महिला उत्तरदाताओं की जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।

II. संवैधानिक आदर्शों के प्रति ग्रामीण तथा शहरी उत्तरदाताओं की जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।

III. संवैधानिक आदर्शों के प्रति शिक्षक तथा विद्यार्थी उत्तरदाताओं की जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।

IV. संवैधानिक आदर्शों के प्रति शिक्षक तथा सामान्य नागरिक उत्तरदाताओं की जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।

3. शोध प्रविधि (Research Methodology)

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु वर्णनात्मक शोध विधि के अन्तर्गत सर्वेक्षण (Survey) प्रविधि का प्रयोग किया गया। प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु 100 पुरुष, 100 महिला, 100 विद्यार्थी, तथा 100 सामान्य नागरिकों सहित कुल 400 उत्तरदाताओं का चयन न्यादर्श हेतु सामान्य यादृच्छिक न्यादर्शन प्रविधि (Simple Random Sampling Technique) का प्रयोग किया गया। आँकड़ों का संकलन करने हेतु शोधकर्ता द्वारा स्व-निर्मित शोध उपकरण का प्रयोग किया गया, जिसमें 10 विमाओं पर आधारित कुल 40 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सम्मिलित किया गया। स्व-निर्मित शोध उपकरण के माध्यम से आँकड़ों का संकलन प्रत्यक्ष रूप से न्यादर्शों पर प्रशासित करके किया गया। आँकड़ों का विश्लेषण करने के लिए मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-मान का प्रयोग किया गया। यह शोध कार्य बदायूँ जनपद तक सीमित किया गया है।

4. आँकड़ों का विश्लेषण (Analysis of Data)

प्रस्तुत शोध अध्ययन मेंभारतीय संविधान के आदर्शों के प्रति जन-जागरूकता संबंधी एकत्रित किए गये आँकड़ों का विश्लेषण परिकल्पना अनुसार मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-मान ज्ञात करके निम्नवत किया गया है-

H01: संवैधानिक आदर्शों के प्रति पुरुष तथा महिला उत्तरदाताओं की जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं हैं।

भारतीय संविधान में वर्णित आदर्शों के प्रति पुरुष व महिला उत्तरदाताओं की जागरूकता में सार्थक अंतर ज्ञात करने के लिए 100 पुरुष उत्तरदाता तथा 100 महिला उत्तरदाताओं से एक प्रश्नावली के माध्यम से आँकड़ों का संकलन किया गया। तत्पश्चात आँकड़ों का विश्लेषण उचित सांख्यिकी की सहायता से करने पर दोनों समूहों के मध्यमान, मानक विचलन व टी-मान की गणना की गई, जिसके आँकड़े तालिका संख्या 1 में निम्नवत दिये गये हैं-

तालिका -1: संवैधानिक आदर्शों के प्रति जागरूकता हेतु पुरुष तथा महिला उत्तरदाताओं के मध्य टी-मान की गणना

समूह	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (SD)	डिग्री ऑफ फ्रीडम (df)	टी-मान (t-value)
पुरुष	100	34.99	6.46	198	-0.24
महिला	100	35.19	5.14		

रेखाचित्र -1: संवैधानिक आदर्शों के प्रति जागरूकता हेतु पुरुष तथा महिला उत्तरदाताओं के मध्यमान की तुलना

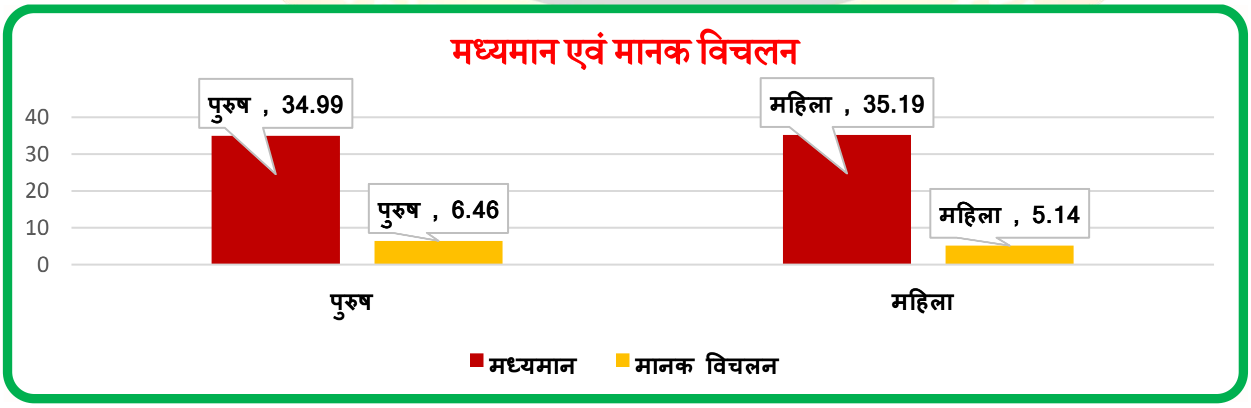

©The Research Dialogue | Received: 10 July 2026 | Accepted: 18 July 2026 | Published: 20 July 2026

तालिका 1 से स्पष्ट है कि संवैधानिक आदर्शों के प्रति जागरूकता हेतु पुरुष तथा महिला उत्तरदाताओं के आँकड़ों का मध्यमान क्रमशः 34.99 तथा 35.19 प्राप्त हुआ जबकि दोनों समूहों के मध्य टी- मान -024 प्राप्त हुआ।

उक्त समस्त परीक्षण मानों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि महिला उत्तरदाताओं का मध्यमान पुरुष उत्तरदाताओं के मध्यमान से अधिक है। उक्त मान से स्पष्ट होता है कि महिला उत्तरदाता पुरुषों की अपेक्षा संवैधानिक आदर्शों के प्रति अधिक जागरूक है। साथ ही प्राप्त हुआ टी-मान .05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है क्योंकि गणना किया गया टी-मान, टी- अनुपातों के क्रांतिक मान 1.98 से कम है। गणना किया गया टी-मान प्रदर्शित करता है कि पुरुष तथा महिला उत्तरदाताओं के मध्य संवैधानिक आदर्शों के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है। दोनों समूहों के मध्यमानों में आया अंतर संयोगवश आया माना जा सकता है। अतः कहा जा सकता है कि पुरुष तथा महिला दोनों संवैधानिक आदर्शों के प्रति समान रूप से जागरूक हैं।

अतः शून्य परिकल्पना 'संवैधानिक आदर्शों के प्रति पुरुष तथा महिला उत्तरदाताओं की जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं हैं' को .05 सार्थकता स्तर पर स्वीकार किया जाता है।

H02: संवैधानिक आदर्शों के प्रति शहरी व ग्रामीण उत्तरदाताओं की जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं हैं।

भारतीय संविधान में वर्णित आदर्शों के प्रति ग्रामीण व शहरी उत्तरदाताओं की जागरूकता में सार्थक अंतर ज्ञात करने के लिए 75 ग्रामीण उत्तरदाता तथा 75 शहरी उत्तरदाताओं से एक प्रश्नावली के माध्यम से आँकड़ों का संकलन किया गया। तत्पश्चात आँकड़ों का विश्लेषण उचित सांख्यिकी की सहायता से करने पर दोनों समूहों के मध्यमान, मानक विचलन व टी-मान की गणना की गई, जिसके आँकड़े तालिका संख्या 2 में निम्नवत दिये गये हैं-

तालिका -2: संवैधानिक आदर्शों के प्रति जागरूकता हेतु शहरी व ग्रामीण उत्तरदाताओं के मध्य टी-मान की गणना

समूह	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (SD)	डिग्री ऑफ फ्रीडम (df)	टी-मान (t-value)
शहरी	100	32.75	5.52	198	2.10
ग्रामीण	100	31.11	5.50		

रेखाचित्र -2: संवैधानिक आदर्शों के प्रति जागरूकता हेतु शहरी व ग्रामीण उत्तरदाताओं के मध्यमान की तुलना

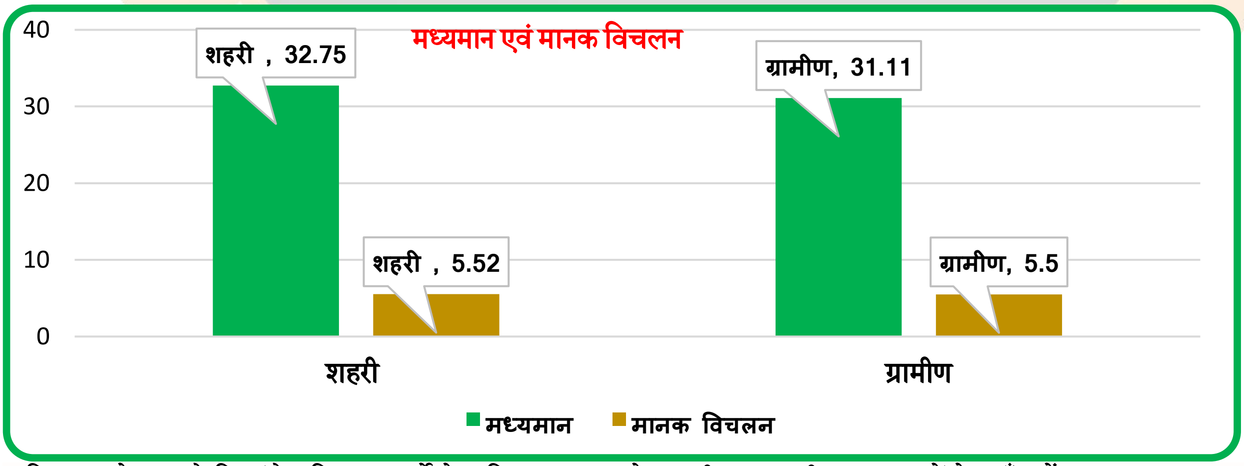

तालिका 2 से स्पष्ट है कि संवैधानिक आदर्शों के प्रति जागरूकता हेतु ग्रामीण व शहरी उत्तरदाताओं के आँकड़ों का मध्यमान क्रमशः 32.75 तथा 31.11 प्राप्त हुआ जबकि दोनों समूहों के मध्य टी- मान 2.10 प्राप्त हुआ।

उक्त समस्त परीक्षण मानों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि ग्रामीण उत्तरदाताओं का मध्यमान शहरी उत्तरदाताओं के मध्यमान से कम है। उक्त मान से स्पष्ट होता है कि शहरी उत्तरदाता, ग्रामीण उत्तरदाताओं की अपेक्षा संवैधानिक आदर्शों के प्रति अधिक जागरूक है। साथ ही प्राप्त हुआ टी-मान .05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है क्योंकि गणना किया गया टी-मान, टी- अनुपातों के क्रांतिक मान से अधिक है। गणना किया गया टी-मान प्रदर्शित करता है कि शहरी तथा ग्रामीण उत्तरदाताओं के मध्य संवैधानिक आदर्शों के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर है। दोनों समूहों के मध्यमानों में आया अंतर वास्तविक माना जा सकता है। अतः कहा जा सकता है कि शहरी तथा ग्रामीण दोनों उत्तरदाता संवैधानिक आदर्शों के प्रति समान रूप से जागरूक नही हैं।

अतः शून्य परिकल्पना 'संवैधानिक आदर्शों के प्रति ग्रामीण व शहरी उत्तरदाताओं की जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं हैं' को .05 सार्थकता स्तर पर अस्वीकार किया जाता है।

H03: संवैधानिक आदर्शों के प्रति शिक्षक तथा विद्यार्थी उत्तरदाताओं की जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं हैं।

भारतीय संविधान में वर्णित आदर्शों के प्रति शिक्षक व विद्यार्थी उत्तरदाताओं की जागरूकता में सार्थक अंतर ज्ञात करने के लिए 100 शिक्षक उत्तरदाता तथा 100 विद्यार्थी उत्तरदाताओं से एक प्रश्नावली के माध्यम से आँकड़ों का संकलन किया गया। तत्पश्चात आँकड़ों का विश्लेषण उचित सांख्यिकी की सहायता से करने पर दोनों समूहों के मध्यमान, मानक विचलन व टी-मान की गणना की गई, जिसके आँकड़े तालिका संख्या 3 में निम्नवत दिये गये हैं-

तालिका -3: संवैधानिक आदर्शों के प्रति जागरूकता हेतु शिक्षक व विद्यार्थी उत्तरदाताओं के मध्य मध्यमान,मानक विचलन एवं टी-मान की गणना

समूह	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (SD)	डिग्री ऑफ फ्रीडम (df)	टी-मान
शिक्षक	100	39.24	2.93	98	+8.07
विद्यार्थी	100	33.66	3.91		

रेखाचित्र- 3: संवैधानिक आदर्शों के प्रति जागरूकता हेतु शिक्षक व विद्यार्थी उत्तरदाताओं के मध्यमान व मानक विचलन की तुलना

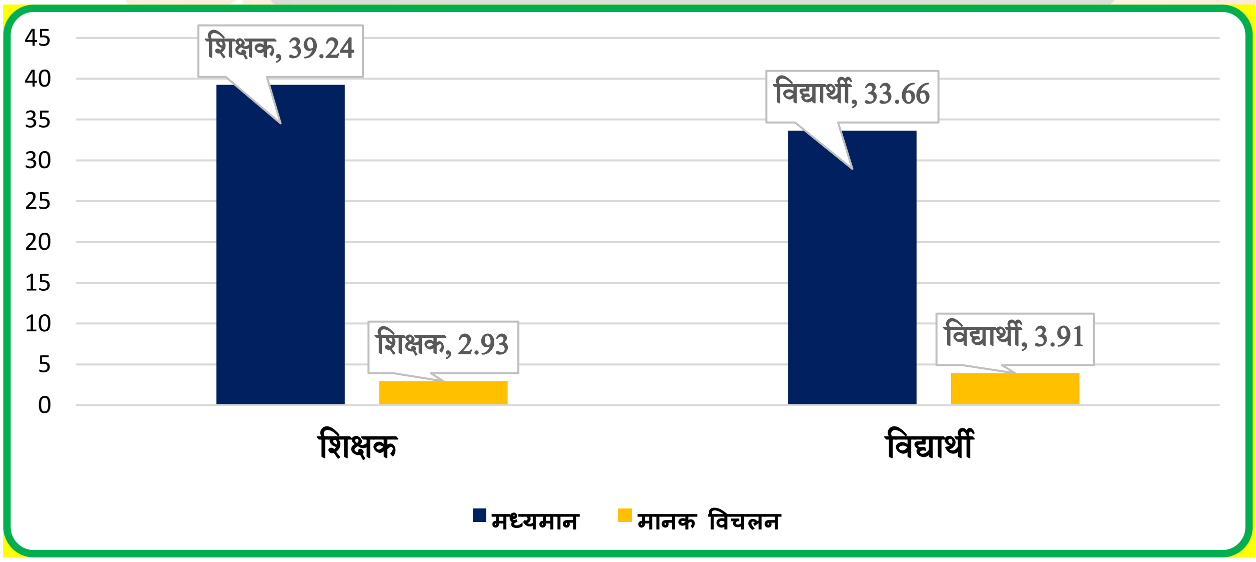

©The Research Dialogue | Received: 10 July 2026 | Accepted: 18 July 2026 | Published: 20 July 2026

तालिका 3 से स्पष्ट है कि संवैधानिक आदर्शों के प्रति जागरूकता हेतुशिक्षक व विद्यार्थी उत्तरदाताओं के आँकड़ों का मध्यमान क्रमशः 39.24 तथा 33.66 प्राप्त हुआ जबकि दोनों समूहों के मध्य टी- मान +8.07 प्राप्त हुआ।

उक्त समस्त परीक्षण मानों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि विद्यार्थी उत्तरदाताओं का मध्यमान शिक्षक उत्तरदाताओं के मध्यमान से कम है। उक्त मान से स्पष्ट होता है कि शिक्षक उत्तरदाता, विद्यार्थी उत्तरदाताओं की अपेक्षा संवैधानिक आदर्शो के प्रति अधिक जागरूक है। साथ ही प्राप्त हुआ टी-मान .05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है क्योंकि गणना किया गया टी-मान, टी- अनुपातों के क्रांतिक मान 1.98 से अधिक है। गणना किया गया टी-मान प्रदर्शित करता है किशिक्षक व विद्यार्थी उत्तरदाताओं के मध्य संवैधानिक आदर्शों के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर है। दोनों समूहों के मध्यमानों में आया अंतर वास्तविक माना जा सकता है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षक व विद्यार्थी दोनों उत्तरदाता संवैधानिक आदर्शों के प्रति समान रूप से जागरूक नहीं हैं।

अतः शून्य परिकल्पना 'संवैधानिक आदर्शों के प्रति शिक्षक व विद्यार्थी उत्तरदाताओं की जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं हैं' को .05 सार्थकता स्तर पर निरस्त किया जाता है।

H04: संवैधानिक आदर्शों के प्रति शिक्षक तथा सामान्य नागरिक उत्तरदाताओं की जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं हैं।

भारतीय संविधान में वर्णित आदर्शों के प्रति शिक्षक व सामान्य नागरिक उत्तरदाताओं की जागरूकता में सार्थक अंतर ज्ञात करने के लिए 100 शिक्षक उत्तरदाता तथा 100 सामान्य नागरिक उत्तरदाताओं से एक प्रश्नावली के माध्यम से आँकड़ों का संकलन किया गया। तत्पश्चात आँकड़ों का विश्लेषण उचित सांख्यिकी की सहायता से करने पर दोनों समूहों के मध्यमान, मानक विचलन व टी-मान की गणना की गई, जिसके आँकड़े तालिका संख्या 4 में निम्नवत दिये गये हैं-

तालिका -4: संवैधानिक आदर्शों के प्रति जागरूकता हेतु शिक्षक व विद्यार्थी उत्तरदाताओं के मध्य मध्यमानएवं टी-मान की गणना

समूह	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (SD)	डिग्री ऑफ फ्रीडम (df)	टी-मान
शिक्षक	100	39.24	2.93	98	+14.29
सामान्य नागरिक	100	29.60	3.76		

रेखाचित्र 4: संवैधानिक आदर्शों के प्रति जागरूकता हेतु शिक्षक व विद्यार्थीउत्तरदाताओं के मध्यमान व मानक विचलन की तुलना

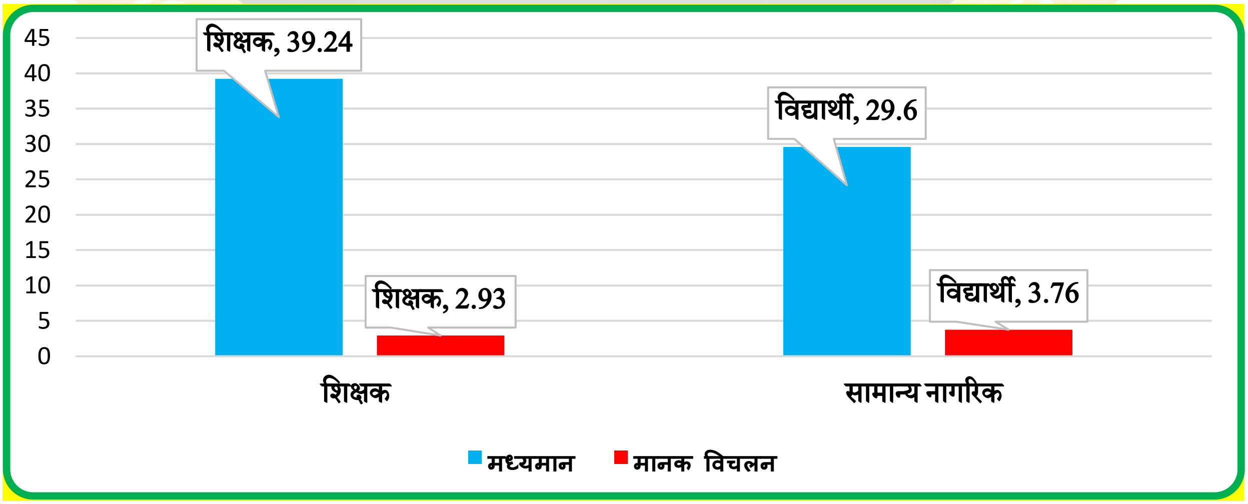

तालिका 4 से स्पष्ट है कि संवैधानिक आदर्शों के प्रति जागरूकता हेतु शिक्षक व सामान्य नागरिक उत्तरदाताओं के आँकड़ों का मध्यमान क्रमशः 39.24 तथा 29.60 प्राप्त हुआ जबकि दोनों समूहों के मध्य टी- मान +14.29 प्राप्त हुआ।

उक्त समस्त परीक्षण मानों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि सामान्य नागरिक उत्तरदाताओं का मध्यमान शिक्षक उत्तरदाताओं के मध्यमान से कम है। उक्त मान से स्पष्ट होता है कि शिक्षक उत्तरदाता, सामान्य नागरिक उत्तरदाताओं की अपेक्षा संवैधानिक आदर्शों के प्रति अधिक जागरूक है। साथ ही प्राप्त हुआ टी-मान .05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है क्योंकि गणना किया गया टी-मान, टी- अनुपातों के क्रांतिक मान 1.98 से अधिक है। गणना किया गया टी-मान प्रदर्शित करता है कि शिक्षक व सामान्य नागरिक उत्तरदाताओं के मध्य संवैधानिक आदर्शों के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर है। दोनों समूहों के मध्यमानों में आया अंतर वास्तविक माना जा सकता है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षक व सामान्य नागरिक दोनों उत्तरदाता संवैधानिक आदर्शों के प्रति समान रूप से जागरूक नहीं हैं।

अतः शून्य परिकल्पना 'संवैधानिक आदर्शों के प्रति शिक्षक व सामान्य नागरिक उत्तरदाताओं की जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं हैं' को .05 सार्थकता स्तर पर निरस्त किया जाता है।

5. शोध निष्कर्ष एवं परिचर्चा (Research Conclusion and Discussion)

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य भारतीय संविधान के आदर्शों- न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति विभिन्न सामाजिक समूहों की जागरूकता का परीक्षण करना था। अध्ययन के निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ कि संवैधानिक आदर्शों के प्रति जागरूकता का स्तर सभी समूहों में समान नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, सामाजिक परिवेश तथा नागरिक सहभागिता जैसे कारकों से प्रभावित होता है। अध्ययन में पुरुष एवं महिला उत्तरदाताओं के मध्य संवैधानिक आदर्शों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। यद्यपि महिला उत्तरदाताओं का मध्यमान पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा अधिक था, तथापि प्राप्त टी- मान (-0.24) सांख्यिकीय दृष्टि से सार्थक नहीं था। यह निष्कर्ष आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षा, मीडिया तथा डिजिटल संचार के माध्यम से महिलाओं और पुरुषों को संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक विषयों तक लगभग समान पहुँच मिलने की ओर संकेत करता है। यह परिणाम ***जोसेफ, लोपेज एवं क्लीटस (2023)*** के अध्ययन से भी मेल खाता है, जिन्होंने पाया कि संविधान संबंधी जागरूकता का विकास लिंग की अपेक्षा शिक्षा एवं प्रशिक्षण से अधिक प्रभावित होता है। संविधान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास का आधार बनता है। दूसरी ओर, शहरी एवं ग्रामीण उत्तरदाताओं के मध्य संवैधानिक आदर्शों के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर पाया गया, जिसमें शहरी उत्तरदाता अधिक जागरूक पाए गए। यह परिणाम इस तथ्य की पुष्टि करता है कि शहरी क्षेत्रों में शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, जनसंचार माध्यमों तथा लोकतांत्रिक विमर्श तक पहुँच अपेक्षाकृत अधिक होती है। संविधान दिवस, नागरिक अधिकारों तथा सरकारी योजनाओं से संबंधित सूचनाएँ शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रभावी ढंग से पहुँचती हैं। ***राठी एवं देवी (2017)*** ने भी अपने अध्ययन में पाया कि संवैधानिक ज्ञान नागरिकों को अधिक उत्तरदायी बनाता है तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनकी सहभागिता को बढ़ाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी संवैधानिक साक्षरता के विस्तार की आवश्यकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष शिक्षक एवं विद्यार्थी समूहों के मध्य प्राप्त हुआ। शिक्षक उत्तरदाताओं की संवैधानिक जागरूकता विद्यार्थियों की अपेक्षा उल्लेखनीय रूप से अधिक पाई गई तथा यह अंतर सांख्यिकीय रूप से सार्थक था। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि शिक्षक अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा शैक्षिक अनुभव के कारण संविधान, लोकतंत्र और नागरिक मूल्यों से अधिक परिचित होते हैं। यह निष्कर्ष संविधान शिक्षा को विद्यालयी स्तर पर और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यदि विद्यार्थियों में प्रारम्भिक अवस्था से ही संवैधानिक मूल्यों का विकास किया जाए, तो वे अधिक जागरूक एवं उत्तरदायी नागरिक बन सकते हैं। इसी प्रकार शिक्षक एवं सामान्य नागरिकों के मध्य भी अत्यधिक सार्थक अंतर पाया गया, जहाँ शिक्षक समूह का जागरूकता स्तर सामान्य नागरिकों से काफी अधिक था। यह निष्कर्ष दर्शाता है कि संवैधानिक ज्ञान का स्तर शिक्षा एवं बौद्धिक संलग्नता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। सामान्य

नागरिकों में संवैधानिक जागरूकता अपेक्षाकृत कम होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की सक्रिय एवं जागरूक भागीदारी पर निर्भर करती है। ***ग्रैनविल ऑस्टिन (1999)*** ने भारतीय संविधान को "*सामाजिक क्रांति का उपकरण*" कहा था। उनके अनुसार संविधान का उद्देश्य केवल शासन का ढाँचा तैयार करना नहीं, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना करना भी है। अध्ययन के निष्कर्ष यह संकेत देते हैं कि संविधान के इन आदर्शों को जन-जन तक पहुँचाने के लिए संवैधानिक साक्षरता कार्यक्रमों को और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है। ***माधव खोसला (2020)*** का मत है कि भारतीय संविधान ने विविधताओं से भरे समाज को एक साझा लोकतांत्रिक ढाँचे में संगठित किया है। वर्तमान अध्ययन इस विचार की पुष्टि करता है कि संविधान के प्रति जागरूकता राष्ट्रीय एकता, नागरिक उत्तरदायित्व तथा लोकतांत्रिक संस्कृति को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त, ***Deepa et al. (2024)*** ने शिक्षा एवं जनसंचार माध्यमों को नागरिक जागरूकता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास का प्रमुख साधन माना है। वर्तमान अध्ययन के निष्कर्ष भी इसी दिशा में संकेत करते हैं कि जहाँ शिक्षा एवं सूचना तक पहुँच अधिक है, वहाँ संवैधानिक जागरूकता का स्तर भी अपेक्षाकृत अधिक पाया गया। अतः विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, नागरिक समाज संगठनों तथा मीडिया को संवैधानिक मूल्यों के प्रसार में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए

6. निष्कर्ष (Conclusion)

प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय संविधान के आदर्शों के प्रति जन-जागरूकता का स्तर विभिन्न सामाजिक समूहों में भिन्न-भिन्न है। पुरुष एवं महिला उत्तरदाताओं के मध्य जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संवैधानिक मूल्यों के प्रति दोनों वर्ग समान रूप से जागरूक हैं। इसके विपरीत शहरी एवं ग्रामीण उत्तरदाताओं, शिक्षक एवं विद्यार्थियों तथा शिक्षक एवं सामान्य नागरिकों के मध्य जागरूकता में सार्थक अंतर पाया गया। शहरी, शिक्षक तथा अधिक शिक्षित वर्गों में संवैधानिक जागरूकता का स्तर अपेक्षाकृत अधिक रहा। अध्ययन यह भी स्पष्ट करता है कि संवैधानिक साक्षरता केवल अधिकारों के ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक सहभागिता, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा राष्ट्रीय एकता के विकास से भी जुड़ी हुई है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि संविधान के आदर्शों को विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, जनसंचार माध्यमों तथा सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक स्तर पर प्रसारित किया जाए। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, विद्यार्थियों तथा सामान्य नागरिकों के लिए संवैधानिक साक्षरता अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँच सकें। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संवैधानिक जागरूकता लोकतांत्रिक भारत की आधारशिला है तथा इसका सुदृढ़ीकरण सामाजिक समरसता, उत्तरदायी नागरिकता और संवैधानिक लोकतंत्र की दीर्घकालिक सफलता के लिए अनिवार्य है।

संदर्भ (References)

Austin, G. (1999). *The Indian constitution: Cornerstone of a nation*. Oxford University Press.

Babie, P. T., & Bhanu, A. P. (2022). The form and formation of constitutionalism in India. *Laws, 11*(2), Article 33. (Retrieved from: https://doi.org/10.3390/laws11020033 on May 12, 2026)

Choudhry, S. (2022). Can federalism save India's constitutional democracy? *Jus Cogens, 4*(1), 69–77. (Retrieved from: https://doi.org/10.1007/s42439-021-00054-1 on May 15, 2026)

Deepa, R., Sivasamy, A., Selvam, S., & Pathurnisha, S. (2024). *The role of Indian constitution education and mass media in fostering civic awareness and democratic values*. Institute of Legal Education.

Joseph, B., Lopez, J. S., & Cleetus, A. (2023). Comparative study on awareness of constitutional values among in-service teachers and pre-service teachers at secondary level. *International Journal of Research and Analytical Reviews*.

Khosla, M. (2020). *India's founding moment: The constitution of a most surprising democracy*. Harvard University Press.

Rathi, K. N., & Devi, Y. V. (2017). Indian constitutional framework for commerce and its awareness among commerce students. *Legal Research Development, 1*(3), 23–30. (Retrieved from: https://doi.org/10.53724/lrd/v1n3.03 on June 02, 2026)

Singh, A., et al. (2021). Constitutional literacy in India. *International Journal of Modern Agriculture, 10*(2), 348–367.

Cite this Article:

प्रभाकर, डॉ. कुमुद. (2026). भारतीय संविधान के आदर्शों के प्रति जन-जागरूकता का अध्ययन. The Research Dialogue, 5(2), 480–490, Volume-05, Issue-02, July-2026. DOI: https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i2.52

This is an Open cess Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, and opinions expressed in this publication are solely those of the author(s). The publisher and editorial team are not responsible for any errors, claims, or consequences arising from the use of the published content.

CERTIFICATE
of Publication

This Certificate is proudly presented to

डॉ0 कुमुद प्रभाकर

भारतीय संविधान के आदर्शों के प्रति जन-जागरूकता का अध्ययन

Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-05, Issue-02, Month July, Year-2026, Impact Factor (RPRI-4.73/ 6.79)

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor- In-chief

Dr. Neeraj Yadav
Executive-In-Chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at: https://theresearchdialogue.com/

DOI : https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i2.52